न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 723/2016

श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्योप्रसाद जाति सैनी उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नं0 29 मण्डावा पुलिया के पास फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर

.... प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी किशनलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 33 मण्डावा रोड़ पिंजरापोल के सामने फतेहपुर
2. पटवारी हल्का फतेहपुर
3. तहसीलदार फतेहपुर

.... अप्रार्थीगण

आवेदकन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा एड.– प्रार्थी
श्री राजेश कुमार चौधरी एड.–अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 29.06.2018

प्रार्थीया की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1194/1 रकबा 0.4160 हैक्टयर, 1194/2 रकबा 1.42 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है। जिसे इस आवेदन में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। प्रार्थीया खसरा नंबर 1194/1 रकबा 0.4160 का खातेदार एवं काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ख0नं0 1194/2 रकबा 1.42 है कि काश्तकार एवं खातेदार है तथा दोनों अपने – अपने खेत को काश्त करते आ रहे है।

वादग्रस्त भूमि का पूर्व में ख0नं0 1194 रकबा 3.88 था जो पूर्व में पूरणमल पुत्र बंशीराम के नाम से थी जिसमें से आवेदिका एवं अनावेदिका तथा ग्यारसी देवी पत्नी घीसाराम ने उक्त भूमि क्रय करके तथा आवेदिका ने रकबा 0.4160 क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा शेष रकबा 2.044 ग्यारसीदेवी एवं बनारसी देवी ने क्रय किया तथा प्रार्थीया संख्या 1 ने रकबा 1.42 है0 क्रय किया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

[illegible] द्वारा किया गया तथा ख0नं0 1194 रकबा 3.88 हैक्टयर की [illegible]
[illegible] 1194/1 रकबा 0.4160 प्रार्थीया दुर्गा देवी ख0नं0 1194/2 रकबा 1.42 है0
[illegible] देवी ख0नं0 1194/3 रकबा 2.04 हैक्टर ग्यारसीदेवी एवं बनारसी देवी के नाम
से [illegible] बनी।

प्रार्थीया अपने खेत में आने–जाने के लिए ख0नं0 1194/2 के पश्चिम में स्थित तथा [illegible] वाले कटानी आम रास्ता से 1194/2 के पश्चिम सींव सहारे–सहारे से आते–जाते है। तथा हमेशा से इसी से प्रार्थीया अपने खेत में आती – जाती है तथा अपने परिवार जन तथा प्रार्थीया के पशु उंट, लड्डा, ट्रेक्टर, ट्रोली भी जरुरत पड़ने पर तथा लावणी के लिए इसी खेत से आते–जाते है।

खसरा नंबर 1194 पूर्व में एक ही खसरा का जिसका विभाजन जरिये नामान्तरण 3956 दिनांक 19/04/09 को किया गया है, कानूनन उसी समय ही पीछे के खसरे अर्थात ख0नं0 1194/1 जो आवेदिका के हिस्से में आया है उसमें आवागमन हेतु रास्ता कायम किया जाना चाहिये था किन्तु सहवन से तथा भूलवशः तहसीलदारजी एवं पटवारी हल्का द्वारा ख0नं0 1194/1 में जाने हेतु रास्ता नहीं छोड़ा जो विरुद्ध कानूनन है।

ख0नं0 1194/1 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 आवेदिका को खेत में आने –जाने हेतु रुकावट पैदा करती है तथा अपने खेत में से आने–जाने में पिछले दो माह से रुकवाट कर रही है इस कारण प्रार्थीया की खड़ी फसल खराब हो रही है तथा खेत में निनाण भी नहीं हो रहा है। तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवेदिका के खेत में नहीं है।

प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से अपने–अपने खेत खसरा नंबर 1194/1 में आने–जाने हेतु 15 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थीया संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 1194/2 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे आवागमन का रास्ता प्रदान किया जावे अथवा जो न्यायालय को उचित लगे उस स्थल से रास्ता प्रदान किया जावे तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी जावें। प्रार्थीया अप्रार्थीया संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 1194/2 में रास्ता कायम करने से जो भूमि रास्ते में आयेगी उक्त भूमि का रकबा के अनुसार तहसील कार्यालय की सरकारी दर डी0एल0सी0 दर की राशि देने को तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थी चाहे गये रास्ता का ब्लू प्रिन्ट नक्शा पेश कर रही है जिसमें लाल रंग से दर्शित रास्ता आवेदिका को प्रदान किया जावे अथवा विकल्प के रुप में न्यायालय ख0नं0 1194/2 में से किसी भी स्थल से रास्ता प्रदान करें।

प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीया के जोत भूमि ख0नं0 1194/1 रकबा 0.4160 वाके कस्बा फतेहपुर में जोत में जाने के लिए प्रार्थीया के खेत खसरा नं0 1194/2 रकबा 1.42 हैक्टयर वाके फतेहपुर के पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे 15 फुट चौड़ा नवीन रास्ता कायम किया जावें तथा उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रुप में किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री राजेश कुमार एड. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1540 दिनांक 29.06.2018 से प्राप्त हुई। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर व जवाब प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को 15 फीट चौड़े रास्ते की अलांतिक आवशकता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थी को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	खातेदार का नाम
1	1592 (पुराना ख. नं. 1194/2)	1.42है0	बा.2	15 फीट	मंजू देवी पत्नि किशनलाल जाति माली सा. देह

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट व आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (1) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गूना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी दरें निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता एवं अलांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 29.06.2018 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायलय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की रशि की गणना नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

2. प्रार्थीगण द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप किया जावेगा। जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।
5. प्रार्थीगण को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
फतेहपुर (शेखावाटी)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)